प्रेषक,

अशोक गांगुली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा0)
उ0प्र0, लखनऊ/इलाहाबाद।

शिक्षा (3) अनुभाग   लखनऊ: दिनांक: 30 [illegible]म्बर, 1991

विषय:- प्रदेश स्थित शिक्षण संस्थाओं को कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली/सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश स्थित शिक्षण संस्थाओं को कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली एवं सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने की वर्तमान प्रक्रिया को संशोधित कर दिया है। उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के लिए अब शिक्षण संस्थाओं को संलग्न परिशिष्ट-1 तथा 2 पर आवेदन पत्र देना होगा। जो संस्था कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने की मांग करेगी, वह अपना आवेदन पत्र परिशिष्ट-1 के अनुसार तथा जो संस्था सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु मांग करेगी, वह अपना आवेदन पत्र परिशिष्ट-2 के अनुसार अपेक्षित सूचनाओं को पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए, सम्बन्धित सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक को प्रस्तुत करेगी। सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक अपने मण्डल में स्थित संबंधित शिक्षण संस्था का स्वयं स्थलीय निरीक्षण करने के उपरान्त उक्त संस्था को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में अपनी आख्या/संस्तुति शिक्षा निदेशक, उ0प्र0 को प्रेषित करेंगे। स्थलीय निरीक्षण के उपरान्त यदि विद्यालय में किसी प्रकार की कमियां पायी जाती हैं तो सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक अपने स्तर से सम्बन्धित संस्था को उन कमियों के बारे में सूचित करेंगे।

से सम्बद्धता हेतु इच्छुक [illegible]

1. उक्त परीक्षा परिषदों के रूप में जमा करना

[illegible] प्रमाण पत्र के लिए रु० 500/- आवेदन शुल्क राजकीय कोषागार में जमा की जायेगी।

[illegible] आवेदन शुल्क की यह धनराशि राजकीय कोषागार में जमा की जायेगी। चालान की मूल प्रति संलग्न की

[illegible] और निर्धारित आवेदन पत्र के साथ चालान की मूल प्रति संलग्न नहीं की जायेगी, जिनके

[illegible] होगी। ऐसे आवेदन पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी

[illegible] चालान की मूल प्रति संलग्न नहीं होगी।

3- जो संस्था वर्ष 1993-94 के शैक्षिक सत्र से उक्त परीक्षा परिषदों/

संस्थाओं से सम्बद्धता हेतु प्रदेश सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए इच्छुक

होंगी, उनके लिए आवेदन पत्र देने की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर, 1991 होगी,

और विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र देने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 1992

होगी। आगामी वर्षों के लिए आवेदन पत्रों देने की अंतिम तिथि 31 अगस्त

[illegible] 31 अगस्त के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों को केवल प्रत्येक कलेण्डर मास

[illegible] उसके बाद के लिए रु० 100/- का विलम्ब शुल्क भुगतान करने पर ही ग्रहण

किया जायेगा, किन्तु 30 नवम्बर के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों को सम्बन्धित

शैक्षिक वर्षों से स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऐसे आवेदन पत्रों पर इससे आगामी

शैक्षिक सत्र के लिये विचार किया जायेगा।

4- यह भी निर्णय लिया गया है कि शिक्षण संस्थाओं को अनापत्ति

प्रमाण पत्र प्रदान करते समय सामान्य शर्तों के अधीन वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाय।

(क) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण

कराया जायेगा।

(ख) विद्यालय के प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य

होगा।

(ग) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित

जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर

प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित

विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक

शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(घ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान मांग नहीं की जायेगी

और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता

........3

प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फार इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(ङ) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(छ) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

(ज) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

5- अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने हेतु उक्त शर्तों को सम्बन्धित संस्थाओं की सोसाइटी के बाइलाज में समावेश किया जाना अनिवार्य होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में शासन को आख्या एवं संस्तुति भेजते समय इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा कि सम्बन्धित संस्था के बाईलाज में उक्त प्रतिबन्धों को समाविष्ट किये जाने हेतु प्रबन्धतंत्र की सहमति प्राप्त है और इसके लिए संस्था का विधिवत् प्रस्ताव/रिज्यूलूशन/है। संस्था द्वारा सोसाइटी के बाईलाज में उक्त प्रतिबन्धों को समाविष्ट किये जाने हेतु वांछित कार्यवाही किये जाने के उपरान्त ही राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के आदेश निर्गत किये जायेंगे। सोसाइटी के बाईलाज में यह भी प्राविधान किया जायेगा कि उक्त शर्तों में बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/परिवर्द्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा।

6- सम्बन्धित सम्भागीय उप शिक्षा निदेशकों द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाय कि जिस किसी संस्था को राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है अथवा किया जा रहा है, वह उक्त प्रतिबन्धों का पालन कर रही है। यदि किसी संस्था के सम्बन्ध में यह पाया जाता है कि उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है तो सम्बन्धित सम्भागीय उप शिक्षा

......4

निदेशक के द्वारा शिक्षा निदेशक एवं राज्य सरकार को स्थिति से तुरन्त अवगत कराया जायेगा, ताकि राज्य सरकार द्वारा उक्त संस्था के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

7- शासन द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक अपने मण्डल में स्थित ऐसे विद्यालयों जो काउंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली/सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली से सम्बद्ध हों अथवा सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के इच्छुक हों के सम्बन्ध में नियंत्रण अधिकारी होंगे और वे स्वयं अपने मण्डल में स्थित ऐसे विद्यालयों का निरीक्षण कर आख्या निर्धारित प्रपत्र में शिक्षा [illegible] प्रस्तुत करेंगे।

9- प्रदेश के शिक्षण संस्थाओं को उक्त परीक्षा परिषदों/संस्थाओं हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने हेतु प्रस्तावित मानक परिशिष्ट-3 में संलग्न है। कृपया ऐसे विद्यालयों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर संलग्न परिशिष्ट-1, 2 तथा 3 में उल्लिखित बिन्दुओं तथा सम्बन्धित परीक्षा परिषदों के मानकों को ध्यान में रखते हुए परीक्षण कर आख्या प्रस्तुत की जाय।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(अशोक गांगुली)
उप सचिव

सं0-2762 (1)/15-13-91-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
4- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
5- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से
(हस्ताक्षर)
(अशोक गांगुली)
उप सचिव

प्रदेश स्थित शिक्षण संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में मानक

- -

1. आवेदन पत्र देने की तिथि

किसी संस्था को अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन0 ओ0सी0) प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र निश्चित प्रपत्र में [illegible] और सम्बद्ध अधिकारी द्वारा [illegible] सहित हस्ताक्षरित होगा और उस वर्ष जिसमें आवेदन-पत्र को सी0आई0एस0सी0ई0/सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु जमा किया जाना हो, उसके पूर्ववर्ती वर्ष की 31 अगस्त तक एक प्रति शिक्षा निदेशक तथा सम्बन्धित संभागीय उप शिक्षा निदेशक के कार्यालय में दो प्रतियों में अवश्य पहुँच जाना चाहिए। निर्धारित शुल्क के साथ आवेदनपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर होगी। 30 नवम्बर के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर उसके आगामी शैक्षिक सत्र के लिए विचार किया जायेगा।

अपूर्ण रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार/कार्यवाही नहीं की जायेगी।

2- आवेदन शुल्क

[illegible] शिक्षण संस्थाओं को अनापत्ति प्रमाण-पत्र [illegible] आवेदन शुल्क के रूप में जमा करना होगा। [illegible] आवेदन शुल्क की [illegible] राशि राजकीय कोषागार में जमा की जानी होगी और निर्धारित आवेदन पत्र के साथ चालान की मूल प्रति संलग्न की जानी आवश्यक होगी। ऐसे आवेदन पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी, जिनके साथ चालान की मूल प्रति संलग्न नहीं होगी। 3. [illegible] के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों को [illegible] उसके [illegible] के लिए [illegible] विलम्ब शुल्क भुगतान करने पर ही [illegible] 30 नवम्बर के [illegible] जायेगा।

3- विद्यालय स्थापित किये जाने की क्षेत्रीय आवश्यकता

यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि जिस विद्यालय ने अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है उसके चलाये जाने की उस क्षेत्र में वास्तविक आवश्यकता है तथा यह भी देखा जाय कि उक्त विद्यालय को अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने से उस क्षेत्र के अपेक्षित ग्रामीण क्षेत्र में 5 किलोमीटर तथा शहर की दशा में 2 किलोमीटर के अन्य विद्यालयों पर कुप्रभाव न पड़े और उससे अवांछनीय प्रतिस्पर्धा न हो।

4- सोसाइटी/ट्रस्ट का पंजीकरण

विद्यालय की स्थापना और संचालन जिस सोसाइटी द्वारा किया जा रहा है वह भारत सरकार के सोसाइटी एक्ट की धारा 1807 के अन्तर्गत अथवा राज्य सरकार के एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत हो तथा अद्यतन नवीनीकृत हो। पंजीकृत सोसाइटी का विधान इस प्रकार का हो कि जिसमें किसी परिवार के एक व्यक्ति अथवा एक परिवार के सदस्यों का सोसाइटी में नियंत्रण निहित न हो।

5- शिक्षक/कर्मचारी की अर्हता

विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षण कर्मचारियों की शैक्षिक योग्यता वही होगी जैसा कि यथा-स्थिति कौंसिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन/सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन में वर्णित हो। मुख्यतः कक्षा 12 तक के विद्यालय के प्रधानाचार्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि तथा प्रशिक्षित होंगे। कक्षा 10 तक के विद्यालय के प्रधान अध्यापक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि तथा प्रशिक्षित होंगे। कक्षा 11-12 में पढ़ाने वाले अध्यापक उस विषय की स्नातकोत्तर होंगे, जिसमें शिक्षण कार्य किया जाना हो। कक्षा 6-10 तक पढ़ाने वाले अध्यापक सम्बन्धित विषय के साथ स्नातक एवं प्रशिक्षित होने चाहिए। पूर्व प्राथमिक तथा कक्षा 1-5 तक शिक्षण के लिए हाईस्कूल जे0टी0सी0, बी0टी0सी0, एच0टी0सी0 तथा इण्टर के साथ सी0टी0, जे0टी0सी0, बी0टी0सी0 या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए।

....3/-

6. वेतन तथा सेवा शर्तें

प्रत्येक ऐसे विद्यालय के [illegible] के लिए सेवा शर्तें बनाई जायेंगी जिनमें [illegible], स्पष्टीकरण तथा दण्ड के सम्बन्ध [illegible] प्रक्रिया का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही अवकाश नियम, पेंशन, ग्रेच्युटी, बीमा, पी०एफ० तथा अन्य कल्याणकारी योजना का स्पष्ट उल्लेख किया जाय। सेवा [illegible], [illegible], धर्म, जाति, भाषा, लिंग से रहित [illegible] तथा संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों के [illegible] चाहिए।

विद्यालय के शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों [illegible] नहीं [illegible] जैसे [illegible] राज्य सरकार के [illegible] विद्यालयों के कर्मचारियों को [illegible] दिये जाते हैं किन्तु किसी कारणवश [illegible] आय क्षमता इतनी न हो तो वेतन [illegible] सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से किसी भी दशा में कम नहीं होना चाहिए।

7. भवन

संस्थान के प्रत्येक अनुभाग के लिये निम्न-लिखित माप के शिक्षण कक्ष होंगे :-

(क) 8 मी०x6मी० अथवा 48 वर्गमीटर (पर्वतीय [illegible] में 36 वर्गमीटर से कम [illegible] कक्ष होंगे किन्तु पुराने कक्षा [illegible] में 32 वर्गमीटर मान्य समझे जायेंगे।

(ख) पुस्तकालय तथा वाचनालय के लिए 8मी०x 6मी०

(ग) निम्नलिखित चार प्रशासकीय कक्ष जिसमें [illegible] कक्ष 6 मी०x6मी० या 36 वर्गमीटर तथा शेष [illegible] में से 3 प्रत्येक 4 मी०x3मी० या 12 वर्गमीटर

(1) प्रधानाचार्य कक्ष

(2) शिक्षक कक्ष

(3) कार्यालय कक्ष

(4) भण्डार कक्ष

(5) प्रयोगशाला प्रत्येक विषय के लिए जहाँ आवश्यकता है 9मी०x6मी० (54 वर्गमीटर) इंटर के प्रत्येक प्रयोगात्मक विषय हेतु एक-एक तथा हाईस्कूल विज्ञान हेतु कम से कम एक प्रयोगशाला होना आवश्यक है।

[illegible] पुरुष/महिला [illegible]
छात्र/छात्राओं [illegible] प्रयोगशाला/पुस्त-
को [illegible] होना चाहिए ।

प्रयोगशाला/पुस्तकालय तथा अन्य शिक्षण सामग्री

विद्यालय में 5 पुस्तकें प्रति छात्र तथा [illegible] में कम से कम 1500 पुस्तकें होनी चाहिए । पुस्तकों में विभिन्न विषयों की पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त संदर्भ ग्रन्थ, शब्दकोश, सामान्य ज्ञान एवं [illegible] [illegible] [illegible] चाहिए ।

[illegible] के विज्ञान प्रयोगशाला के लिए [illegible] की [illegible] विज्ञान सामग्री [illegible] तथा कक्षा 9-10 की प्रयोगशाला के लिए [illegible] की [illegible] विज्ञान सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए । सामग्री [illegible] में सी०बी०एस०ई० एवं [illegible] संस्थान", [illegible] की [illegible] किया जाय ।

[illegible] में विभिन्न विषयों के शिक्षण के लिए उपर्युक्त [illegible] में [illegible], [illegible], चार्ट, कैसेट रिकार्डर, प्रोजेक्टर, [illegible] सेट, ट्रान्जिस्टर, टू-इन-वन, टी०वी० आदि सामग्री आवश्यकतानुसार उपलब्ध होनी चाहिए । शिक्षण सामग्री [illegible] कुल 10,000 [illegible] ।

[illegible]

[illegible] की [illegible] [illegible] के लिए [illegible] के लिए [illegible] विद्यालय के [illegible] उसके समीप होना आवश्यक होगा ।

फीस

फीस उन्हीं मदों में चार्ज किया जाय जो अनुमन्य हों । फीस की दर उतनी होनी चाहिए जो सामान्यतः [illegible] से पूर्व से [illegible] ऐसे अन्य विद्यालयों में चार्ज किया जा रहा हो । [illegible]/भवनशुल्क इत्यादि ऐसे मदों पर शुल्क न चार्ज किया जाय ।